

अरस्तू के दासता के विचार पर प्रकाश डालें।
(Explain Aristotle's views on Slavery.)

परिवार के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण नितान्त प्रश्न जिस पर अरस्तू ने विचार किया है, वह दास प्रथा का स्वरूप तथा उसका औचित्य है। दास प्रथा का समर्थन प्लेटो ने नहीं किया था, क्योंकि उसे रूढ़िवादिता में विश्वास नहीं था। जबकि अरस्तू को रूढ़िवादिता व परम्परा में बहुत आस्था थी। और, यही कारण है कि इस दास प्रथा जैसी विचारधारा को यूनानी जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होने के कारण अपने समर्थन का एक छाप छोड़ना पड़ा जो अरस्तू के राजनीतिक दर्शन के लिए एक विरोधाभास और कलंक साबित हुआ। अरस्तू का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य सम्पत्ति रखता है, उसी प्रकार वह दास भी रखता है। उसके अनुसार सम्पत्ति दो प्रकार की होती है--

1. निर्जीव
2. सजीव

जहाँ निर्जीव सम्पत्ति में मकान, खेत और अन्य चल सम्पत्ति आती है, वहीं हाथी, घोड़ा, अन्य पशु और दास भी शामिल हैं।

अरस्तू दास को एक पारिवारिक सम्पत्ति मानता है। उसकी दृष्टि में परिवार के लिए दास अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह एक सजीव सम्पत्ति है। अरस्तू निर्जीव सम्पत्ति से ज्यादा महत्व सजीव सम्पत्ति अर्थात् दास को देता है क्योंकि निर्जीव उपकरण से तभी काम लिया जा सकता है जबकि उसके पहले सजीव उपकरण हो।

अरस्तू दास प्रथा के औचित्य को निम्नलिखित तर्कों के आधार पर सही सिद्ध करता है--

1. दास प्रथा एक स्वभाविक व्यवस्था है--अरस्तू दास प्रथा को प्राकृतिक मानते हैं। उनका कहना है कि प्रकृति में सर्वत्र ही यह नियम दृष्टिगोचर होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है। सभ्य मनुष्य एक सी बुद्धि योग्यता अथवा कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते। कुछ व्यक्ति श्रेष्ठतम परिस्थितियों में भी मूर्ख और अकुशल रहते हैं। दासता इसी प्राकृतिक असमानता का परिणाम है।

2. नैतिक दृष्टि से दास प्रथा उचित-----अरस्तू नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उनका मत है कि स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में पर्याप्त मात्रा में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे तथा दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करें। अरस्तू यह मानते हैं कि दासों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह अपने विवेक से अपनी वासनाओं या क्षुधाओं को शान्त कर सकें।

दासों के प्रकार

अरस्तू दास प्रथा पर विचार करते हुए

दासता के दो प्रकार बताते हैं--

1. स्वाभाविक दासता
2. वैधानिक दासता

जो व्यक्ति जन्म से ही मन्द बुद्धि, अकुशल एवं अयोग्य होते हैं, वे स्वाभाविक दासता के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त युद्ध में अन्य राज्य को पराजित कर लाये हुए बन्दी भी दास बनाये जा सकते हैं। युद्ध बंदियों की इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है। किन्तु इस प्रकार की दासता को अरस्तू यूनानवासियों पर लागू नहीं करता, क्योंकि यूनानवासी दास बनने के लिए नहीं स्वामी बनने के लिए जन्म लिया है।

दासों के प्रति मानवीय व्यवहार----यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अरस्तू दास प्रथा का पक्षपाती होने के बावजूद उसके प्रति कुछ मानवीय आचरण रखता है अर्थात् दास प्रथा में होने वाले कुछ अन्यायों का ये विरोध करते हैं। जैसे--

1. स्वामी को दास के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार या क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए।
2. दासों की संख्या बढ़ाने की बजाय आवश्यकतानुसार सीमित किया जाना चाहिए।
3. स्वामी को अपने दासों यह वचन देना चाहिए कि यदि वे अच्छा कार्य करेंगे तो उन्हें छोड़ दिया जायेगा।
4. स्वामी और दास के मध्य मधुर सम्बन्ध होना चाहिए।
5. स्वामी को चाहिए कि दास के पुत्र यदि योग्य और बुद्धिमान हैं तो उसे दास नहीं बनाये, क्योंकि दासता वंशानुगत नहीं होता।

आगे, धन्यवाद।